हुक्म की तामील में जारी हुए

03-04-18 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।

कार्यालय रिपोर्ट होकर
पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज
रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की
बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई।
अधिवक्ता अपीलार्थी ~~की~~ ने अपनी बहस
में मुख्य रूप से निवेदन किया कि
अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुये
प्रकरण में भूमि ख.नं. 4126 रकबा
1.39 हैक्टयर के हिस्सा 1/3 को सुरवा पुत्र
बालू के नाम दर्ज हिस्से की हद तक वाद
पत्र प्रस्तुत हुआ था जिससे उक्त 1/3 हिस्से
तक ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई
आदेश पारित किया जाना चाहिये था
किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण
ख.न. 4126 हेतु अपीलाधीन आदेश
गलत रूप से पारित किया गया है इसके
अतिरिक्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा
अपीलाधीन आदेश पारित ~~कर~~ करने से
पूर्व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन तक
नहीं किया जाना। इससे सिद्ध होता है
कि जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 मे
अपीलार्थी सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है
किन्तु वादी/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय
के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा मे अपीलार्थी को पक्षकार ही
नहीं बनाया गया लेकिन इसके बावजूद
भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी।
अपीलार्थी की काश्तकारी के संदर्भ मे
अपीलाधीन आदेश के माध्यम से उन्हे
प्रतिबान्धित कर दिया गया जो विधि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

विपरित होने से निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के खातेदार है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश के माध्यम से उनकी खाते की आराजीयात के सम्बन्ध मे प्रतिबन्धित किया गया है जिसकी जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रार्थना पत्रो को न्यायहित मे स्वीकार फरमाया जाकर विधी विरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश की क्रियान्वीति स्थगित फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड सहखातेदार काश्तकार है जिनको अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही संयोजित नही किया गया एवं अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को उनके खाते की आराजी के उपयोग-उपभोग हेतु प्रतिबन्धित किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं धारा-5 कानून मियाद को न्यायहित मे स्वीकार किये जाकर आदेश जेर अपील दिनांक 02/8/2011 को अपीलार्थी की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अपीलार्थी को पक्षकार समायोजित कर उभयपक्षों को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई का अवसर प्रदान कर 30 दिवस की अवधि में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	